कार्यालय प्रमुख अभियंता
मध्यप्रदेश लोक निर्माण विभाग

27-28, निर्माण भवन, प्रथम तल, अरेरा हिल्स, भोपाल (म. प्र.)

Website : www.mppwd.gov.in *Email : pwdbhop@mp.nic.in*

Telephone No. -0755-2551485 Fax No.- 0755-2556527

क्रमांक 2760/संचार /2017 भोपाल दिनांक 11-7-2017

प्रति,

1. समस्त मुख्य अभियंता
2. समस्त अधीक्षण यंत्री
3. समस्त कार्यपालन यंत्री

लोक निर्माण विभाग, मध्यप्रदेश।

विषयः- सक्षम वित्तीय समितियों हेतु प्रेषित किये जा रहे प्राक्कलनों के संबंध में निर्देश।

मुख्य अभियंता, कार्यालयों से उनके परिक्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कार्यो के प्राक्कलन स्थाई वित्तीय समिति, वित्तीय व्यय समिति एवं परियोजना परीक्षण समिति के अनुमोदन हेतु भेजे जा रहे हैं । वर्तमान व्यवस्था के अनुसार इन प्राक्कलनों का परीक्षण संबंधित सक्षम समितियों को प्रेषित किये जाने के पूर्व अधोहस्ताक्षरकर्ता की अध्यक्षता में गठित लागत परीक्षण समिति व्दारा किया जाना है । इस संबंध में यह देखा जा रहा है कि अनेक प्रकरणों में मुख्य अभियंता व्दारा प्रस्तुत प्रस्तावों में कार्यो के सर्वेक्षण एवं रूपांकन से संबंधित विस्तृत विवरण एवं मानचित्र संलग्न नहीं किये जा रहे है । अनेक मामलों में इस कार्यालय को प्रस्तुत प्राक्कलनों में पेवमेंट की डिजाईन, रिटेनिंग स्ट्रक्चर्स, नालियों एवं पुल-पुलियों के प्रावधानों के विस्तृत विवरण, डिजाइन एवं ड्राईग संलग्न नहीं है

इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है, कि कार्यो की तकनीकी स्वीकृति के सम्पूर्ण अधिकार निर्धारित सीमा केअनुसार विभिन्न स्तरों के अधिकारियों को प्राप्त है। अतः प्रस्तावित प्रावधानों के तकनीकी औचित्य एवं सम्पूर्णता के लिए तकनीकी स्वीकृति प्रदान करने वाले अधिकारी, पूर्ण रूप से उत्तरदायी हैं ।

अतः निर्देशित किया जाता है कि कार्य प्रारंभ करने के पूर्व यदि किसी प्रकरण में कार्य से संबंधित सर्वेक्षण, रूपांकन में कोई कमी रह गई हो तो उसे पूरा करा लिया जाए तथा तदानुसार कार्य की सभी स्ट्रक्चरल डिजाईन एवं वर्किंग ड्राईग

तकनीकी स्वीकृति प्रदान करने वाले अधिकारी के स्तर से अनुमोदित किये जाने के पश्चात् ही कार्य का संपादन किया जाए । यह निर्देश जो कार्य प्रगतिरत हैं उन पर भी लागू होगा । यदि किसी प्रकरण विशेष में पूर्व में स्वीकृत प्रावधानों में कोई संशोधन/परिवर्तन/परिवर्धन की आवश्यकता हो तो मुख्य अभियंता, इस संबंध में शासन व्दारा निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति एवं पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु त्वरित कार्रवाई करेंगे ।

उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जावे ।

सहपत्रः- 0.

(अखिलेश अग्रवाल)
प्रमुख अभियंता
लोक निर्माण विभाग मध्यप्रदेश

पृ. क्रमांक 2761/संचार /2017 भोपाल दिनांक 11 -7-2017

प्रतिलिपिः-

1- सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग, मंत्रालय भोपाल । की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।

(अखिलेश अग्रवाल)
प्रमुख अभियंता
लोक निर्माण विभाग मध्यप्रदेश